कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतापगढ/इलाहाबाद।

पत्र संख्याः— एफ0पी0/सीएफओ0/आई—6/2018 दिनॉकः— मार्च 30 ,2018

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

प्रतापगढ।

विषयः—गाटा संख्या—2,ग्राम करिस्ता, तहसील पट्टी जनपद—प्रतापगढ में नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्र संख्या मेमो/जे0ए0/2018 दिनांक मार्च 26, 2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जो गाटा संख्या—2,ग्राम करिस्ता, तहसील पट्टी जनपद—प्रतापगढ में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1— उक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का टोटल प्लाट एरिया 1225.00 वर्गमीटर है।

2— उक्त स्थल ग्राम करिस्ता तहसील पट्टी जनपद—प्रतापगढ में स्थित है।

3— उक्त आउटलेट पर डीजल/पेट्रोल की मशीन 2—2 अदद नक्शे मे दर्शायी गयी हैं।

4— डीजल टैंक 20,000 लीटर का नक्शे में दर्शाया गया हैं।

5— पेट्रोल टैंक 20,000 ली0 — 20,000 ली0 का नक्शे में दर्शाया गया हैं।

6— स्थल के ऊपर से कोई हाइटेन्शन लाईन नही गयी है।

7— उक्त स्थल वर्तमान में सुरक्षित है। प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आसानी पूर्वक पहुॅच कर अपना कार्य कर सकते है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएंः— निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें प्रस्तावित की जाती है।

1— प्रत्येक आउटलेट पर 02—02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 आई0एस0आई0 मार्का स्थापित किया जाना चाहिए।

2— सेल्स स्टोर रूम में 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 आई0एस0आई0 मार्का स्थापित किया जाना चाहिए।

3— जनरेटर रूम में 02 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0आई0एस0आई0 मार्का स्थापित किया जाना चाहिए।

4— इलेक्ट्रिक रूम में 02 अदद सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 4.5 किग्रा0 का स्थापित किया जाना चाहिए।

5— सैड बकेट 08 अदद मय स्टैण्ड लगाया जाना चाहिए।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
Ashok Kumar Srivastava
Sr. Manager
इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (MD)
इलाहाबाद मण्डलीय कार्यालय
Allahabad Divisional Office

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
प्रबन्धक / Manager (RS)
प्रतापगढ़ बिक्री क्षेत्र / Pratapgarh Sales Area
इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (MD)
इलाहाबाद मण्डलीय कार्यालय/Allahabad Divisional Office

6– धुम्रपान निषेध का बोर्ड मुख्य–मुख्य स्थानों पर लगाया जाना चाहिए।
7– फायर स्टेशन का दूरभाष नं0 अंकित किया जाना आवश्यक होगा।
8– रिटेल आउटलेट के तीन तरफ 1.8 मी0 का बाउड्रीवाल उठाकर पेट्रोल पम्प को सुरक्षित किया जाये।
9– सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक फीटिंग एवं वायर आई0एस0आई0 2140 के अनुसार लगाया जाये।
10– पेट्रोलियम रूल्स के फार्म 14 के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना चाहिए।
11– 11000 लीटर का वाटर टैंक लगाया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूर्ण रूपेण पालन करने के निर्देश के साथ इस शर्त पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है। कि रिटेल आउटलेट पर कार्य करने से पूर्व पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण करा कर अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा निर्गत किया गया ईकाई हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/प्रबन्धक की होगी।

(आर0एस0मिश्र)
(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद।

प्रतिलिपिः– 1– आवेदक को अनुपालनार्थ।

आशुतोष कुमार श्रीवास्तव
Ashutosh Kumar
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
इलाहाबाद मण्डल कार्यालय
Allahabad Divisional Office

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
प्रबन्धक (खुदरा) / Manager (RS)
Indian Oil Corporation Limited (MD)
इलाहाबाद मण्डलीय कार्यालय/Allahabad Divisional Office